कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला

(फोनः 0291–2943451; हेल्पलाईन : 8306002129; ई–मेल आई0डी0: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

क्रमांक : जि0वि0से0प्रा0 / संविदा सेवा / 2025–26 /

दिनांक : 30.06.2025

प्रेषिति :– M/s Shree Swastik Infotech,
135/15, Shiv Shakti Nagar, Mahamandir,
Jodhpur (Raj.)

विषय :– लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल हेतु सपोर्ट स्टॉफ के रूप में विभिन्न पदों की संविदा सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु।

प्रसंग :– इस कार्यालय की खूली बोली आमंत्रण सूचना सं0 06 / 2025–26 दिनांक 17.06.2025 (UBN-LSA2526SSOB00026)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक निविदा सूचना के क्रम में आपकी उल्लेखित दरें उपापन समिति की अनुशंषा पर श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला की अनुमोदन उपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निविदा की शर्तों पर निम्नानुसार स्वीकृत की जाती हैः

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर 12.00 प्रतिशत (नियोक्ता अंशदान)	ESI दर 3.25 प्रतिशत (नियोक्ता अंशदान)	सामग्री राशि / उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रूपये)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रूपये)	कुल राशि रूपये (6+7+8+9+10) (GST Excluded)
		श्रमिक की श्रेणी	श्रमिक की संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिदिन प्रति ईकाई रूपये)	राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई) रूपये					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	ऑफिस असिस्टेंट	उच्च कुशल	03	359/-	9334/-	12 % 1120.08/-	3.25 % 303.36/-	Not Applicable	**01.00**	**10758.44/-**
2	रिसेप्शनिस्ट–कम –डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	उच्च कुशल	01	359/-	9334/-	12 % 1120.08/-	3.25 % 303.36/-	**01.00**	**01.00**	**10759.44/-**
3	ऑफिस पिओन	अकुशल	03	285/-	7410/-	12 % 889.20/-	3.25 % 240.83/-	Not Applicable	**01.00**	**8541.03/-**

उपरोक्त दरों पर **संबंधित कार्मिकों** की सेवाऐं वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु दिनांक 31.03.2026 तक, अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए निविदा की शर्तों के तहत निम्नानुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें:

1. संवेदक को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान सम्मिलित होगा। संवदेक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0 के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा किए जाने की पुष्टि में सम्बंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक का आगामी माह के बिल / बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला
जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला
(फोनः 0291–2943451; हेल्पलाईन : 8306002129; ई–मेल आई0डी0: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

2. सामान्य वित्तीय लेखा नियम, RTPP Act, 2012 एवं RTPP Rules 2013 एवं इस सम्बंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश में वर्णित प्रावधानों की पालना अनिवार्य होगी तथा बिलों के भुगतान पर नियमानुसार कटौति भी की जाएगी।
3. इस आदेश की तिथि से 10 दिवस के भीतर बोली की शर्त के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति @5% राशि रूपये 36450/– (माह जुलाई 2025 से मार्च 2026, कुल 09 माह हेतु उक्त सारणी अनुसार अधिकतम भुगतान राशि अनुसार गणना – लगभग 7,29,000/–) "जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला" के नाम पर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक कार्यालय में जमा कराया जाना, तथा राशि 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें, तथा दिनांक 01.07.2025 से कार्यालय लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल में निर्धारित संविदा कार्मिकों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करावें।

(डॉ. मनीष हरजाई)
अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
जोधपुर जिला।

क्रमांक : जि0वि0से0प्रा0/संविदा सेवा/2025–26/245-249 दिनांक : 30.06.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला – उक्त कार्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. संबंधित लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला – उक्त कार्यादेश को State Public Procurement Portal पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संस्थापन्न शाखा, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

(डॉ. मनीष हरजाई)
अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
जोधपुर जिला।